न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

जिला जोधपुर केम्प कोर्ट सम्बाडिया

पीठासीन अधिकारी – भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या– 46/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
नेमाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. चेनाराम पुत्र भूराराम 2. छोटुराम पुत्र भ्राराम जातियान कुम्हार निवासोगण भगासनी तहसील बिलाड़ा 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति – वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–23.10.2021**

संक्षेप में मामल के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 1.0598 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी क पिता भूराराम पुत्र नवलाराम जी को 1/2 हिस्से की सयुक्त खातेदारी की थी। खातेदार भूराराम जी का देहान्त सन् 1980 म हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी क पिता भूराराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 115 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलव"ा या त्रुटीव"ा मांगीलाल नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम नमाराम है। वादी को घर में लाड प्यार से मांगीलाल पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम नमाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

लिखा हुआ है। जब वादी के पिता भूरारामजी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 115 में भूलव"ा या त्रुटीव"ा वादी का नाम मांगीलाल लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो क अनुसार उसका वास्तविक नाम नेमाराम है। वादी अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बंक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेज बैक मैनेजर के समक्ष पेश किये गय, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम नेमाराम लिखा हुआ है और जमाबन्दी में मांगीलाल लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने मांगीलाल के स्थान पर नेमाराम नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पे"ा करना पड़ रहा है। वादी मांगीलाल व नेमाराम एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा का"त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद संख्या 1 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पे"ा नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल नाम लिख देने से वादो न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से मांगीलाल पुकारते है, इस कारण वादी के पिता भूराराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलव"ा या बीना जानकारी के वादी का नाम मांगीलाल दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज नेमाराम नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आव"यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भगासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 1.0598 हैक्टेयर के संयुक्त राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल पुत्र भूराराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र भूराराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम मांगीलाल के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर नेमाराम का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदे”ा फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या–1 से 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जवाब दावा में वादी का वाद स्वीकार कर मांगीलाल पुत्र भूराराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र भूराराम की दुरूस्ती करने की सहमति प्रदान की गयी। इस कारण दावे में तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। वादो ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली ध्यानपूवक अवलोकन किया गया। वादी ने दाव के साथ जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079, नामांन्तकरण संख्या 115, आधारकार्ड नेमाराम, जनआधार कार्ड नेमाराम, राशनकार्ड नेमाराम, य्कोबैंक की खाता पासबुक नमाराम आदि को पे”ा किया है। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम नमाराम दर्ज किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी की खातेदारी मांगीलाल पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातदारी भूमि पर ऋण प्राप्त की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम नेमाराम पुत्र भूराराम की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ने रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमती प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 1.0598 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

के राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल पुत्र भूराराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र भूराराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"। प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पचा जारी हो। पत्रावली फै"ल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
नेमाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. चेनाराम पुत्र भूराराम 2. छोटुराम पुत्र भ्राराम जातियान कुम्हार निवासीगण भगासनी तहसील बिलाड़ा 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 46/2020

निर्णय **दिनांक** :– 23.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। ग्राम भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 1.0598 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में मांगीलाल पुत्र भूराराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र भूराराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खचा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नाट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested